

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

केशन्ति वगैरह बनाम रेखा वगैरह

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु.न. 76/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.07.2025	<p>प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिस्ता हो चुकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस करने का निवेदन किया, प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सुनवाई व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का भलीभांति अवलोकन व मनन करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie) प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी 29.08.2025 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 05 वादगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 723, 724, 734, 757, 844, 855, 865, 867, 868, 875, 876, 878, 879, 935, 172, 173, 638, 639, 640, 651, 652, 653, 654, 665, 666, 748, 751, 1184, 1185, 1298, 1299, 1300, 463, 470, 471, 60, 61, 62, 641, 642, 643, 644, 648, 649, 650, 661, 662, 663, 664, 735, 755, 803, 804, 805, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 830, 832, 835, भूमि ग्राम झूथाहेडाकलां पटवार हल्का बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखें। इस संबध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो तारीख पेशी दिनांक 29.08.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये <b>Registered AD</b> वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p> <p>29.8.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को धारा-2 आणव्य दिलवाई गई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामिलें / तामिल रजिस्ट्रेशन रकौटें पेश नहीं की गई हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए शक्युक्त नहीं हैं इसलिए पत्रावली</p>	

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मण्डावर(दौसा)

केशन्ति वगैरह बनाम रेखा वगैरह

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु.न. 76/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.07.2025	<p>प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश हुआ। कार्यालय रिपोर्ट सरिस्ता हो चुकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर वहस करने का निवेदन किया, प्रार्थी वकील की एक पक्षीय वहस सुनी गई। सुनवाई व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का भलीभांति अवलोकन व मनन करने के बाद प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie) प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के विरुद्ध आगामी तारीख पेशी 29.08.2025 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 05 वादगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 723, 724, 734, 757, 844, 855, 865, 867, 868, 875, 876, 878, 879, 935, 172, 173, 638, 639, 640, 651, 652, 653, 654, 665, 666, 748, 751, 1184, 1185, 1298, 1299, 1300, 463, 470, 471, 60, 61, 62, 641, 642, 643, 644, 648, 649, 650, 661, 662, 663, 664, 735, 755, 803, 804, 805, 812, 813, 814, 815, 817, 818, 830, 832, 835, भूमि ग्राम झूथाहेडाकलां पटवार हल्का बैजूपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनाये रखें। इस संबध में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो तारीख पेशी दिनांक 29.08.2025 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये <b>Registered AD</b> वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29.08.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)</p> <p>29.8.25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को धारा-2 अन्तर्गत दिलाई गई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की तामिलें / तामिल रजिस्ट्रेशन रकमें पेश नहीं की गई हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए शक्य नहीं है इसलिए पत्रावली</p>	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

<p>तारीख हुकम</p>	<p>.....के प्रति.....बनाम.....शेखा.....                  मु.नं.- 76/25                      किस्म - 1-2</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---	---

पार्सी की अरम हाजरी व अरम घेरकी में खारिज की जाती है। पगावली में दिनांक 24.07.2025 को जारी अन्तरिम अस्थाई निवेधाव्ता के प्रचलन से समाप्त किया जाता है। पगावली केसल शुभार छेठर डाकेल इफ्तद ही है।

उपखण्ड अधिकारी  
 मंडावर (दौसा)